**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 33**

**05.12.2013 को उत्तर के लिए**

**'प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नदियों की सफार्इ किया जाना'**

**33. श्रीमती टी. रत्ना बार्इ:**

**श्री मोहम्मद अली खान:**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गंगा, यमुना और अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए समय-समय पर नदियों की सफार्इ की जाती है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधि में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रत्येक नदी की सफार्इ के लिए कितनी धनराशि जारी की गर्इ है और खर्च की गर्इ और इस संबंध में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) नदियों का संरक्षण, केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सतत तथा सम्मिलित प्रयास है । यह मंत्रालय, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी आधार पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के अन्तर्गत गंगा और यमुना सहित विभिन्न नदियों के अभिनिर्धारित क्षेत्रों में प्रदूषण का उपशमन करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित करता रहा है । एनआरसीपी के अंतर्गत इस समय 9336.87 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर 20 से भी अधिक राज्यों में फैले 195 शहरों की 42 नदियों का प्रदूषण उपशमन कार्य शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा चलाई गईं विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अशोधित मल-जल का अवरोधन तथा अपवर्तन, मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय सुविधाओं का निर्माण, विद्युत/उन्नत काष्ठ के शवदाहगृहों की स्थापना और नदी तटाग्रों का विकास शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक 4814.80 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की मल-जल शोधन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्‍त, राज्य सरकारें अपने स्वयं के बजटीय आबंटनों के अतिरिक्त भी, शहरी विकास मंत्रालय की जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) और यूआईडीएसएसएमटी (छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम) जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न शहरों में मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना सहित मल-जल अवसरंचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं ।

(ख) 11वीं और 12वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान एनजीआरबीए सहित एनआसीपी के तहत मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों तथा राज्‍यों द्वारा किए गए व्‍यय का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनंबंध-। में दिया गया है ।

(ग) एनजीआरबीए सहित एनआरसीपी के तहत सिंतबर, 2013 तक जारी की गई निधियों और किए गए व्‍यय का राज्‍य-वार ब्‍यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है । एनआरसीपी के अंतर्गत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति पर कोल्‍हापुर, महाराष्‍ट्र में एक मलजल शोधन संयंत्र स्‍थापित किया गया है । पीपीपी मॉडल को, जहां व्‍यवहार्य हो, एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण और प्रचालन सुविधाओं के लिए भी प्रोत्‍साहित किया जा रहा है ।

**'प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नदियों की सफार्इ किया जाना' के बारे में बृहस्‍पतिवार दिनांक 5 दिसंबर, 2013 को उत्‍तर के लिए पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 33 के भाग (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध-।**

**11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनजीआरबीए कार्यक्रम सहित) के अंतर्गत जारी की गई निधियों और किए गए व्‍यय का राज्‍यबार ब्‍यौरा**

(करोड़ रूपए में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं.  | राज्‍य  | 11वीं पंच वर्षीय योजना  | 12वीं पंच वर्षीय योजना (सितंबर, 2013 तक) |
| जारी की गई केंद्रीय निधियां  | किया गया व्‍यय (राज्‍य के हिस्‍से सहित) | जारी की गई केंद्रीय निधियां  | किया गया व्‍यय (राज्‍य के हिस्‍से सहित) |
| 1 | आंध्र प्रदेश  | 130.23 | 206.87 | 0.00 | 0 |
| 2 | बिहार  | 35.37 | 17.60 | 61.38 | 50.99 |
| 3 | झारखंड  | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | गुजरात  | 2.13 | 0.00 | 41.71 | 19.45 |
| 5 | गोवा  | 0.70 | 2.58 | 0.00 | 0 |
| 6 | कर्नाटक  | 5.95 | 1.26 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | महाराष्‍ट्र  | 24.76 | 29.77 | 27.49 | 11.28 |
| 8 | मध्‍य प्रदेश  | 11.00 | 9.02 | 0.00 | 0.64 |
| 9 | उड़ीसा  | 28.50 | 29.10 | 0.00 | 3.89 |
| 10 | पंजाब  | 137.58 | 181.78 | 117.61 | 127.06 |
| 11 | राजस्‍थान  | 40.00 | 36.72 | 0.00 | 10.81 |
| 12 | तमिलनाडु  | 31.02 | 71.13 | 0.00 | 5.72 |
| 13 | दिल्‍ली  | 245.39 | 498.83 | 0.00 | 73.19 |
| 14 | हरियाणा  | 42.85 | 52.91 | 38.20 | 11.22 |
| 15 | उत्‍तर प्रदेश  | 565.32 | 780.03 | 160.85 | 309.04 |
| 16 | उत्‍तराखंड | 55.69 | 54.38 | 17.98 | 32.29 |
| 17 | पश्चिम बंगाल  | 304.51 | 230.72 | 0.00 | 100.84 |
| 18 | केरल  | 2.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | सिक्किम  | 60.23 | 59.35 | 21.65 | 17.75 |
| 20 | नागालैंड  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योग**  | **1723.23** | **2262.15** | **486.87** | **774.17** |

**'प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नदियों की सफार्इ किया जाना' के बारे में बृहस्‍पतिवार दिनांक 5 दिसंबर, 2013 को उत्‍तर के लिए पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 33 के भाग (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध-।।**

**सितंबर, 2013 तक राष्‍ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनजीआरबीए कार्यक्रम सहित) के अंतर्गत जारी की गई निधियों और किए गए व्‍यय का राज्‍यबार ब्‍यौरा**

 (करोड़ रूपए में)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं. | राज्‍य  | नदियां  | जारी की गई केंद्रीय निधियां  | किया गया व्‍यय (राज्‍य के हिस्‍से सहित) |
| 1 | आंध्र प्रदेश  | गोदावरी और मूसी | 259.80 | 364.48 |
| 2 | बिहार  | गंगा | 153.45 | 124.38 |
| 3 | झारखंड  | दामोदर, गंगा और सुबर्णरेखा | 4.45 | 1.59 |
| 4 | गुजरात  | साबरमती, मिंधोला | 131.76 | 114.53 |
| 5 | गोवा  | मनडोवी | 9.26 | 13.50 |
| 6 | कर्नाटक  | भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुंग और पेन्नार | 47.83 | 53.59 |
| 7 | महाराष्‍ट्र  | कृष्णा, गोदावरी, तापी और पंचगंगा | 151.21 | 142.46 |
| 8 | मध्‍य प्रदेश  | बेतवा, ताप्ती, वेनगंगा, खान, नर्मदा, क्षिप्रा, बीहर, चम्बल और मन्दाकिनी |  79.0 | 78.35 |
| 9 | उड़ीसा  | ब्राहमिनी और महानदी | 61.41 | 70.38 |
| 10 | पंजाब  | सतलुज और ब्यास और घग्‍गर | 393.95 | 550.92 |
| 11 | राजस्‍थान  | चम्बल | 41.12 | 48.30 |
| 12 | तमिलनाडु  | कावेरी, अडयार, कुउम, वेन्नार, वैगई और तम्बारानी | 623.65 | 885.27 |
| 13 | दिल्‍ली  | यमुना | 451.94 | 732.72 |
| 14 | हरियाणा  | यमुना | 269.81 | 317.98 |
| 15 | उत्‍तर प्रदेश  | यमुना, गंगा, गोमती और रामगंगा | 1339.40 | 1756.60 |
| 16 | उत्‍तराखंड  | गंगा | 99.18 | 103.09 |
| 17 | पश्चिम बंगाल  | गंगा, दामोदर और महानंदा | 656.22 | 678.97 |
| 18 | केरल  | पम्बा | 2.78 | 1.47 |
| 19 | सिक्किम  | रानी चू | 90.41 | 85.22 |
| 20 | नागालैंड  | दिफु और धनश्री | 4.50 | 0.00 |
|  |  |  | 429.27 | 433.00 |
| **कुल** |  | **4871.13** | **6123.80** |

\*\*\*\*\*\*\*